



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275728
CG-DL-E-25082026-275728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4494]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4494]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4679(अ).—जबकि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4643(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 765 के दोर्नाला-कुंटा खंड के डिजाइन चैनेज (किमी 244+000 से किमी 267+990) (वर्तमान किमी 244+000 से किमी 268+700) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या ठेकेदार के माध्यम से संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः, अब राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.4643(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी 2, 3 और 4 में, "शुल्क प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान" से संबंधित प्रविष्टियों में, "आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दोर्नाला मंडल के जम्मी दोर्नाला गांव में एनएच-765 के किमी 248+800 (वर्तमान किमी 249+670) पर" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"एनएच-765 के किमी 248.800 (मौजूदा किमी. 249.670) पर, हसनाबाद गांव, दोर्नाला मंडल, मार्कापुरम जिला, आंध्र प्रदेश।"

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/8/2022-एपी/जोन-III/ई-213680]

सी.एन. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के का.आ. 4643 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4679(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S. O. 4643(E), dated 13th October, 2025 authorised the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the user fee for use of two lane with paved shoulders of Dornala - Kunta Section from Design Chainage Km 244+000 to 267+990 (existing Km.244+000 to 268+700) of National Highway number 765 in the State of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 to 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published vide S.O.4643(E), dated 13th October, 2025 (hereinafter referred to as the "said notification"), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(i) In the said notification, in Tables 2, 3 and 4, in the entries relating to the "**Location of Fee Plaza (Chainage)**", for the words "**At Km 248+800 (Existing Km 249+670) of NH-765 Jammi Dornala Village of Dornala Mandal in Prakasham District of Andhra Pradesh**", the following words shall be substituted, namely:-

"At Km. 248.800 (Existing Km. 249.670) of NH-765, Hasanabad Village, Dornala Mandal, Markapuram District, Andhra Pradesh."

[F. No. RW/NH-12014/8/2022-AP/Zone-IIIRW/NH-12014/8/2022AP/ZoneIII/E-213680]

C.N. SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 4643 (E), dated the 13th October, 2025.